

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

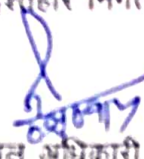
भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या 475/2023

08.09.2023

आवेदिका सीता देवी पति गंगा प्रसाद, साकिन-कोडरमा, पोस्ट-कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला- कोडरमा द्वारा निम्न भूमि विवरण की भूमि का बिक्री करने के लिए सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
कोडरमा	333	30	4377	1.88 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इशतेहार निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक 15/09/2023 को प्रस्तुत करें।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

06. पंजी 27 में संबंधित जमाबंदी की सत्यता की जाँच की गई एवं पाया गया कि:-

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नकित कागजात प्रस्तुत किया गया है:-

- 1) कैवाला क्षेत्र-6008, दि०-01-09-58 की इलाक़ा प्रति।
- 2) ऑनलाइन वेजी-12 / लगान शरीफ की प्रति।
- 3) शपथ-पत्र क्षेत्र-96, दि०-21/08/23 की मूल प्रति।

08. यदि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नहीं है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है अथवा नहीं :- हाँ

(ख) अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नहीं :- नहीं

09. प्रश्नगत भू-खण्ड भू हदबंदी/भवन लीज या सरकारी सस्था की नहीं है तथा छोटानागपुर अधिनियम 190 एवं इसके नियमों के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।

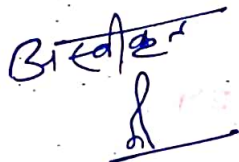
10. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मतव्य :-

महाराष्ट्र, मीजा-नोटरीया, बाना नं०-333 अंतर्गत स्वात क्षेत्र-30, प्लॉट नं० 434, श्रद्धा-188 क्षेत्र की जगत्वंदी शुस्वनी देवी, पति-पारस दास के नाम से ऑनलाइन वेजी-12 के घुटठ/भाग क्षेत्र-10 में दर्ज है। उक्त भूमि ऑनलाइन के माध्यम से शुस्वनी देवी को कैवाला द्वारा प्राप्त है। वंशावली के अनुसार दिश्या स्पष्ट नहीं है एवं अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति-पत्र प्राप्त नहीं है।

उक्त दिश्या में भू-स्वागत प्रमाण-पत्र निर्गत करना उचित प्रतीत नहीं होता है।


अनिल कुमार

हस्ताक्षर
अंचल निरीक्षक


अनिल कुमार


हस्ताक्षर

राजस्व कर्मचारी
नाम- अनिल कुमार
हल्का संख्या-14